पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/Registered Office, Manipal

पोस्टल बैलेट सूचना/Notice of Postal Ballot

प्रिय शेयरधारक,

यह सूचना, समय-समय पर आशोधित सेबी के विनियमन (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), 2015 के विनियमन 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय-समय पर कृत सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुपालन में विशेष संकल्पों को पोस्टल बैलट, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है, के माध्यम से पारित करने के लिए सिंडिकेटबैंक के (जिसे आगे से बैंक कहा जाएगा) शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक कथन में तात्विक तथ्य एवं उसके कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी के श्री ए. अनंतसुब्रमणियन, जो ठाणे, मुंबई के एक सक्रिय कंपनी सचिव है, को चुनाव प्रक्रिया के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कृपया सूचना और प्रपत्र दस्तावेज़ में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रपत्र को पूर्ण रूप से विधिवत भर कर उसे इसके साथ संलग्न स्व-पता मुद्रित पूर्व-प्रदत्त लिफाफे में रख-कर संवीक्षक को निम्नांकित पते पर इस प्रकार भेजें कि वह मंगलवार, 18 दिसंबर, 2018 को सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त हो जाए:-

- संवीक्षक
  कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
  यूनिट: सिंडिकेटबैंक
  कार्वी सेलेनियम टावर बी
  प्लॉट सं. 31-32, गच्चिबाउली
  नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032
  तेलंगाना, भारत

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान प्रदान करने के लिए शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढें और ई-वोटिंग के संबंध में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें।

पोस्टल बैलट के संवीक्षण के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई निदेशक/अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे और पोस्टल बैलट मतदान का परिणाम मंगलवार, 25 दिसंबर, 2018 को सायं 5.00 बजे या उससे पूर्व पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल और कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु के सूचना पट्ट में प्रदर्शित कर घोषित किया जाएगा और इसकी सूचना शेयर बाज़ार को दी जाएगी तथा यह परिणाम बैंक की बेवसाइट www.syndicatebank.co.in और कार्वी कंप्यूरशेयर प्रा. लि., जो बैंक का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट है, की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/Registered Office, Manipal

पोस्टल बैलेट सूचना/Notice of Postal Ballot

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of SyndicateBank (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "e-Voting").

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Shri S. N. Ananthasubramanian (COP No. 1774) of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Tuesday, December 18, 2018 at the following address:

- **The Scrutinizer**
  Karvy Computershare Private Limited,
  Unit: SyndicateBank,
  Karvy Selenium Tower B,
  Plot No. 31-32, Gachibowli,
  Nanakramguda, Hyderabad – 500 032,
  Telangana, India.

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolutions. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for e-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before 5:00 p.m. on Tuesday, December 25, 2018 at Registered Office, Manipal/Corporate Office, Bengaluru of the Bank by displaying on the Notice Board and will be intimated to the Stock Exchanges. It will also be hosted on the website of the Bank, www.syndicatebank.in and Karvy Computershare Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank, www.evoting.karvy.com.

संकल्प:

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और योग्य पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में इसे पारित करने के लिए :

   संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 और सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 में कथित प्रावधानों के अनुपालन में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा सुझाए गए नियमों, विनियमों और आशोधनों के अधीन, जिनपर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (आईसीडीआर)) विनियमन, 2018 और सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (आईसीडीआर)) विनियमन, 2015 और आरबीआई एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित विनियमन और उन शेयर बाज़ारों, जहाँ बैंक का ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के साथ कृत सूचीकरण करार के अधीन एवं बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके पश्चात् बोर्ड कहा जाएगा) ₹10/- (रुपए दस मात्र) रुपए के अंकित मूल्य पर भारत सरकार (जीओआई) को ₹728 करोड़ (सात सौ अट्ठाईस करोड़ रुपए मात्र) रुपए मूल्य के ईक्विटी शेयर पर्याप्त मात्रा में, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियमन सं. 164 में कथित नियमानुसार प्रारंभिक मूल्य पर निर्धारित की जाने वाली प्रीमियम राशि के साथ, सृजित कर आबंटित करने का अधिकार प्रदान किया जाए।

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और योग्य पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में इसे पारित करने के लिए:

   संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 और सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुपालन में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा सुझाए गए नियमों, विनियमों और आशोधनों के अधीन, जिनपर बैंक के निदेशक मंडल को सहमति हो तथा सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (आईसीडीआर)) विनियमन, 2018 और सेबी (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (एलओडीआर)) विनियमन, 2015 एवं सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 तथा आरबीआई एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित विनियमन और उन शेयर बाज़ारों, जहाँ बैंक का ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के साथ कृत सूचीकरण करार के अधीन एवं बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके पश्चात् बोर्ड कहा जाएगा) ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर 30,00,00,000 (तीस करोड़) नई ईक्विटी, पूँजी संवर्धन हेतु प्रीमियम राशि के निर्धारण के साथ, प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 'कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसके पश्चात् ईएसपीएस कहा गया है)' के अंतर्गत एक या एक से अधिक अंशों में बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित मूल्यों पर और बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन और अपने विवेकानुसार तैयार, जारी और आबंटित कर अपनी सीमा को रुपए 500 करोड़ (रुपए पांच सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने के लिए अधिकार प्रदान किया जाए। इसमें मणिपाल में पूर्व संपन्न असामान्य आम बैठक (ईजीएम) में 9,00,00,000 (नौ करोड़) नए ईक्विटी शेयर तैयार कर उन्हें ईएसपीएस के अंतर्गत आबंटित कर अपनी पूँजी को 250 करोड़ तक बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल को शेयरधारकों द्वारा प्रदत्त अधिकार शामिल हैं।

निदेशक मंडल द्वारा
कृते सिंडिकेटबैंक

दिनांक : 07.11.2018
स्थान : बेंगलूरु

सुशांत जैन
(कंपनी सचिव)
(एम सं. A51783)

RESOLUTIONS:

1. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI [Issue of Capital & Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018 and SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and regulations prescribed by the RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board") to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to ₹728 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018."

2. To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI [Issue of Capital & Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018 and SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Share Based Employee Benefits ("SBEB")] Regulations, 2014 and regulations prescribed by the RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board") to increase the limit up to ₹500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only) including premium to raise capital by creating, granting offer, issuing and allotting up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme ("ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion. This includes the earlier approval of the Shareholders in the Extraordinary General Meeting ("EGM") on Monday, 29th October, 2018 at Manipal to raise capital aggregating to ₹250 Crore (Rupees Two Hundred Fifty Crore only) by issuance and allotment of up to 9,00,00,000 (Nine Crore) Equity Shares under ESPS.

By the Board of Directors
For SyndicateBank

Sushant Jain
(Company Secretary)
(M. No. A51783)

Date : 07.11.2018
Place : Bengaluru

नोट:

1. सभी तात्विक तथ्यों को बताते हुए और प्रस्तावित समाधान के कारणों से संबंधित व्याख्यात्मक कथन यहाँ संलग्न है।

2. यह नोटिस पोस्टल बैलेट प्रपत्र के साथ उन शेयरधारकों को ईलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनका ई-मेल आईडी बैंक/निक्षेपागार के पास पंजीकृत हैं, बशर्ते किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए पंजीयन न किया हो। जिन शेयरधारकों ने ई-मेल पते का पंजीयन नहीं किया है उनके पते पर भौतिक प्रति भेजे जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलेट की सूचना बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in और कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो बैंक की रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट है, की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

3. दिनांक 12 नवंबर, 2018 सोमवार (अंतिम तिथि) तक शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरों की चुकता पूंजी के मूल्य के अनुसार मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल उन शेयरधारकों को जिनका नाम अंतिम तिथि तक बैंक के शेयरधारकों की सूची में अथवा निक्षेपागार द्वारा रख-रखाव किए गए हिताधिकारियों की सूची में शामिल हो, वे ही पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के योग्य होंगे। जो व्यक्ति अंतिम तिथि तक सदस्य नहीं हैं उनके लिए यह सूचना केवल जानकारी के लिए है।

4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 3 (2ई) के अनुसार प्रतिनिधि नए बैंक के शेयरधारक, केंद्र सरकार के अलावा प्रतिनिधि नए बैंक के सभी शेयरधारकों की कुल मतदान के अधिकार से 10% से अधिक होने पर भी अपने द्वारा धारित शेयरों के संदर्भ में मतदान के अधिकार के लिए पात्र नहीं होंगे। अधिनियम/मों, विनियमन/नों योजना/ओं और विनियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में जिससे कि सूचना में निर्दिष्ट मौजूदा प्रक्रिया में किसी या कुछ भाग में परिवर्तन हो तो संशोधन अभिभावी होगा।

5. शेयरधारकों को मतदान के लिए एक ही माध्यम का चयन करना होगा अर्थात पोस्टल बैलेट या ई-वोटिंग। यदि कोई सदस्य दोनों ही माध्यमों से मतदान करता है तो उसके द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान ही वैध माना जाएगा एवं पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य होगा।

6. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने पोस्टल बैलेट की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की है और वे भौतिक रूप से पोस्टल बैलेट प्रपत्र के माध्यम से अपना मतदान करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in से पोस्टल बैलेट प्रपत्र डाउनलोड करें और इसे विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर कर बैंक के कंपनी सचिव के पते पर संवीक्षक को इस तरह भेजें कि पोस्टल बैलेट प्रपत्र दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 मंगलवार के सायं 5 बजे तक पहुँच जाए।

7. यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है तो दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार अर्थात बैंक द्वारा विधिवत भरा हुआ पोस्टल बैलेट प्रपत्र या ई-वोटिंग प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पारित माना जाएगा।

8. सदस्य अपना मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से परोक्ष रूप से नहीं कर सकता।

9. जो शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलेट प्रपत्र के माध्यम से करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलेट प्रपत्र की दूसरी ओर उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रपत्र को विधिवत भर कर इसके साथ संलग्न स्व-पता मुद्रित पूर्व-प्रदत्त कारोबारी जवाबी लिफाफे में रख-कर संवीक्षक को इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार को सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त हो जाए। डाक खर्च का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा। फिर भी, यदि पोस्टल बैलेट प्रपत्र वाला स्व-पता लिखा हुआ कारोबारी जवाबी लिफाफे को पंजीकृत/स्पीड-पोस्ट या कूरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर भेजा जाता है, तब भी वह स्वीकार्य होगा। यदि कोई पोस्टल बैलेट प्रपत्र दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार के सायं

Notes:

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.

2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose Email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any Member has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their Email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.syndicatebank.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank, www.evoting.karvy.com.

3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Monday, November 12, 2018 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.

4. Pursuant to Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any Member cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.syndicatebank.in or by writing to the Company Secretary, SyndicateBank, 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, December 18, 2018.

7. The resolutions, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Tuesday, 18th December, 2018 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-Voting.

8. A member cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, December 18, 2018. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, December 18, 2018, it will be

5 बजे के बाद प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारक की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलेट प्रपत्र को अमान्य किया जाएगा, यदि :

i) शेयरधारक की सहमति और विसम्मति के बिना निर्धारण करना संभव न हो: और/या

ii) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बैंक को लिखित किसी शेयरधारक के मतदान के अधिकार पर रोक लगाया जाए: और/या

iii) यह इस तरह से विकृत या कटा-फटा हो कि इसकी मूल प्रपत्र से मिलान संभव न हो: और/या

iv) शेयरधारक ने संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन किया हो अथवा मतदान के लिए किसी प्रकार का शर्त रखा हो: और/या

v) प्रपत्र में दिया गया विवरण अपूर्ण या गलत हो और/या

vi) पोस्टल बैलेट प्रपत्र हस्ताक्षरित न हो अथवा हस्ताक्षर का मिलान न हो और/या

vii) बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल बैलेट प्रपत्र के अलावा कोई अन्य प्रपत्र का उपयोग किया गया हो।

10. यदि कोई शेयरधारक पोस्टल बैलेट प्रारूप की द्वितीय प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो सदस्य इस संबंध में पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल और कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलुरु को या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेट बैंक, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं 31-32, गच्चिबाउली, नानकरामगुड़ा हैदराबाद-500 032 को पत्र लिख कर प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यह पोस्टल बैलेट प्रपत्र की द्वितीय प्रति विधिवत रूप से भरकर और हस्ताक्षर कर संवीक्षक को दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार तक सायं 5 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए।

11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि निम्न प्रकार से है:

(ए) बैंक के उन शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के संदर्भ में निर्देश जिनके डीमेट खाते/फोलियो संख्या कार्वी (Karvy) की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं हैं और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध नहीं है:

i. अपना ई-मेल खोलें और syndicatebank e-voting.pdf नाम के पीडीएफ फाइल को अपने डीपी/क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रविष्ट कर खोलें। उस पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आईडी और पासवर्ड होगा। कृपया नोट करें कि यह प्रारंभिक पासवर्ड है।

ii. इंटरनेट ब्राउजर में http://evoting.karvy.com यूआरएल प्रविष्ट करें।

iii. शेयरधारक ''लॉगिन'' पर क्लिक करें।

iv. अपना यूजर आईडी और उपर्युक्त चरण (i) के अनुसार पासवर्ड प्रविष्ट करें।

v. लॉगिन पर क्लिक करें।

vi. पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू (Password change Menu) खुलेगा। अपने पुराने पासवर्ड को नए पासवर्ड के साथ बदलें जो न्यूनतम 8 (आठ) अंकों/वर्णों या दोनों को मिलाकर होना चाहिए। कृपया पासवर्ड को नोट करें। यह विशेष आग्रह है कि अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें एवं इसे गोपनीय रखने के लिए पूर्ण सावधानी बरतें।

vii. ''ई-वोटिंग'' का होम पेज खुलेगा। ''ई-वोटिंग''-एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।

viii. बैंक के ई-वोटिंग इवन संख्या (EVEN) का चयन करें।

considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or

ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or

iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or

iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or

v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or

vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or

vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Bank at its Registered Office, Manipal; Corporate Office, 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru or its Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Computershare Private Limited, Unit: SyndicateBank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on Tuesday, December 18, 2018.

11. The process and manner of e-Voting shall be as follows:

(A) Instructions in respect of e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/ Folio Number(s) has/have not been registered for e-Voting facility of Karvy Computershare Private Limited and who do not have their existing User ID and Password:

i. Open Email and then open PDF File named "SyndicateBank e-Voting.pdf" with your DP/Client ID or Folio Number as password. The said PDF File contains your User ID and Password for e-Voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch Internet Browser by typing the URL - https://evoting.karvy.com.

iii. Click on Shareholder "Login".

iv. Enter your User ID and Password as initial password noted in step (i) above.

v. Click "Login".

vi. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 (eight) digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended to not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vii. Home Page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

viii. Select e-Voting Even Number (EVEN) of the Bank.

ix. ''कास्ट वोट (Cast vote)'' पेज खुलेगा अब आप ई–वोटिंग कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 19 नवंबर, 2018 सोमवार सुबह 9.00 बजे से आरंभ होगा तथा दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार, सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

x. उचित विकल्प चुनकर अपना मत दें और उसके बाद सबमिट (Submit) तथा पुष्टि करें (Confirm) पर क्लिक करें।

xi. पुष्टि होने पर ''Vote cast successfully'' का संदेश प्रदर्शित होगा।

xii. कारोबार की मदों पर अपना मतदान करने के बाद आप अपने मतदान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

xiii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्राधिकृत हस्ताक्षर के नमूने का सत्यापन कर संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer@snaco.net को प्रेषित करना होगा जिसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भी प्रेषित करनी होगी।

(बी) बैंक के उन शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग के संदर्भ में निर्देश जिनके डीमेट खाते/फोलियो संख्या पहले से ही कार्वी (Karvy) की ई–वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत हैं:

i. इंटरनेट ब्राउजर में http://evoting.karvy.com यूआरएल प्रविष्ट करें।

ii. शेयरधारक ''लॉगिन'' पर क्लिक करें।

iii. अपना यूजर आईडी और मौजूदा पासवर्ड प्रविष्ट करें। (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो http://evoting.karvy.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password'' के माध्यम से अपने पासवर्ड का पुनःनिर्माण कर सकते हैं।)

iv. लॉगिन पर क्लिक करें।

v. ''ई–वोटिंग'' का होम पेज खुलेगा। ''ई–वोटिंग''– एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।

vi. बैंक के ई–वोटिंग इवन संख्या (ईवीईएन) का चयन करें।

vii. ''कास्ट वोट (Cast Vote)'' पेज खुलेगा अब आप ई–मतदान कर सकते हैं। मतदान की अवधि दिनांक 19 नवंबर, 2018 सोमवार, सुबह 9.00 बजे से आरंभ होगा तथा दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार, सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।

viii. उचित विकल्प चुनकर अपना मत दें और उसके बाद सबमिट (Submit) तथा पुष्टि करें (Confirm) पर क्लिक करें।

ix. पुष्टि होने पर ''Vote cast successfully'' का संदेश प्रदर्शित होगा।

x. कारोबार की मदों पर अपना मतदान करने के बाद आप अपने मतदान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

xi. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्राधिकृत हस्ताक्षर के नमूने का सत्यापन कर संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की स्कैन प्रति (PDF/JPG प्रारूप में) के साथ संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer@snaco.net को प्रेषित करना होगा जिसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भी प्रेषित करनी होगी।

ix. Now you are ready for "e-Voting" as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 9.00 a.m. on Monday, November 19, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, December 18, 2018.

x. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

xi. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xii. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xiii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com.

(B) Instructions in respect of remote e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/Folio Number(s) has/have already been registered for e-Voting facility of Karvy Computershare Private Limtied:

i. Launch Internet Browser by typing the URL - https://evoting.karvy.com.

ii. Click on Shareholder "Login".

iii. Enter your User ID and existing Password (if you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com.

iv. Click "Login".

v. Home Page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vi. Select e-Voting Even Number (EVEN) of the Bank.

vii. Now you are ready for "e-Voting" as "Cast Vote" page opens. Voting period commences from 9.00 a.m. on Monday, November 19, 2018 and ends at 5.00 p.m. on Tuesday, December 18, 2018.

viii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

ix. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

x. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xi. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com.

कृपया नोट करें :

1. ई-वोटिंग वेबसाइट में 5 बार गलत पासवर्ड प्रविष्ट कर लॉगिन के असफल प्रयास पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। आपको पासवर्ड के पुनःनिर्माण के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ''Forgot Password'' पर जाना होगा।
2. आपका लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्पों जिसके अंतर्गत आप शेयरधारक हैं पर विशेष रूप से ई-वोटिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
3. यह विशेष आग्रह है कि अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें एवं इसे अनिवार्य रूप से गोपनीय रखें।
4. रिमोट ई-वोटिंग के संदर्भ में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई प्रश्न है तो श्री एम. आर. वी. सुब्रमण्यम, उप महा प्रबंधक, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट - सिंडिकेटबैंक, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं 31-32, गच्चिबाउली, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, दूरभाष - 040-67162222/67161516, फैक्स 040-23001153, टॉल फ्री सं : 18003454001 या einward.ris@karvy.com पर ई-मेल भेज कर संपर्क कर सकते हैं।
5. पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान का समापन होने पर संवीक्षक द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष (एमडी & सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत बैंक का कोई कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य, जो उस पर हस्ताक्षर कर सके के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कार्यसूची की मदों में निर्धारित विशेष संकल्पों के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए कुल मतों पर संवीक्षक की रिपोर्ट तैयार करेंगे। पोस्टल बैलेट फॉर्म की अवधि पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या-1

सेबी [पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (''आईसीडीआर'')] अधिनियम, 2018, के अनुसार अधिनियम, 2018, (अधिनियम) भारत सरकार को अधिमान्य निर्गम:

1. अधिमान्य निर्गम के उद्देश्य:

भारत सरकार (''जीओआई'') ने अपनी अधिसूचना एफ. संख्या 7/38/2014-बीओए दिनांक 17.10.2018 के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयर (विशेष प्रतिभूति/बॉण्ड) के अधिमान्य आबंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बैंक को अंशदान के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ₹728.00 करोड़ (केवल सात सौ अट्ठाईस करोड़ रुपए) की स्वीकृति सूचित की थी।

बैंक को अपने भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') के साथ परिचालित खाते में दिनांक 22.10.2018 को ₹728.00 करोड़ (केवल सात सौ अट्ठाईस करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई।

निदेशक मंडल ने दिनांक 31.10.2018 को संपन्न हुई बैठक में भारत सरकार से प्राप्त ₹728.00 करोड़ रुपये (केवल सात सौ अट्ठाईस करोड़ रुपये) के पूंजी निवेश के सापेक्ष भारत सरकार (जीओआई) को अधिमान्य आधार पर प्रत्येक 10/- (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की आवश्यक संख्या के निर्माण, प्रस्ताव देने, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार और बैंक की सामान्य कारोबार के लिए आवश्यक निधियों के रूप में किया जाएगा।

भारत सरकार (''जीओआई'') जो बैंक के प्रवर्तक हैं द्वारा पूर्ण निर्गम अभिदत्त किया जाएगा।

Please note that:

1. Login to e-Voting website will be disabled upon 5 (five) unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.

2. Your Login Id and existing Password can be used by you exclusively for e-Voting on the Resolutions placed by the Bank in which you are the Shareholder.

3. It is strongly recommended to not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

4. In case, you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri M. R. V. Subrahmanyam, General Manager, Karvy Computershare Private Limited, Unit: SyndicateBank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Tel.: 040 67162222/67161516, Fax: 040 23001153, Toll Free No.: 18003454001 or write an email to einward.ris@karvy.com.

5. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolutions as set out in each of the Agenda Items, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 1

Pursuant to SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, (the Regulations) Preferential Issue to the Government of India ("GOI"):

1. Objects of the Preferential Issue:

The Government of India ("GOI") vide Notification F. No. 7/38/2014-BOA dated 17.10.2018 conveyed the sanction of the President of India for release of ₹728.00 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) to the Bank towards contribution of the Central Government for preferential allotment of Equity Shares (Special Securities/Bonds) of the Bank during the Financial Year 2018-19, as Government's investment.

The amount of ₹728.00 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) has been received by the Bank on 22.10.2018 in the account maintained with the Reserve Bank of India ("RBI").

The Board of Directors in its meeting held on 31.10.2018 has recommended for passing the Special Resolution to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") on preferential basis against capital infusion of ₹728.00 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) already received from the GOI.

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The entire issue will be subscribed by the Government of India ("GOI") - Promoter of the Bank.

2. निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या जारी की जानी चाहिए:

विशेष संकल्प पोस्टल बैलेट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 18 दिसंबर, 2018 मंगलवार को पारित किया गया माना जाएगा। सेबी के अधिनियम 161 (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) अधिनियम, 2018 के अनुसार, सुसंगत तिथि दिनांक 16 नवंबर, 2018 शुक्रवार है और निर्गम के मूल्य की गणना सेबी के अधिनियम 164 (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) अधिनियम, 2018 के अनुसार की जाएगी। निर्गम का मूल्य और जारी की जानेवाली शेयरों की संख्या तथा भारत सरकार (''जीओआई'') को आबंटित शेयरों की संख्या शेयर बाजार को सुसंगत तिथि के बाद सूचित किया गया।

3. प्रस्ताव को अभिदत्त करने के इच्छुक प्रवर्तक, निदेशकों और जारीकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक :

बैंक में भारत सरकार (''जीओआई'') की शेयरधारिता 73.07% होने और भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमान्य शेयरों निर्गम भी किए जाने के कारण भारत सरकार को छोड़कर कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक प्रस्ताव अभिदत्त करने की इच्छा नहीं रखते।

4. अधिमानी शेयर निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का नमूना:

शेयर निर्गम के पहले:

क्र.सं.	वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
1.	प्रवर्तक (भारत सरकार)	103,55,39,388	73.07%
2.	प्रवर्तक के अलावा	38,17,32,665	26.93%
कुल		**141,72,72,053**	**100.00%**

शेयर निर्गम के बाद:

बैंक की उपर्युक्त शेयरधारिता नमूना भारत सरकार (''जीओआई'') के लिए प्रस्तावित अधिमानी शेयर निर्गम के पहले का है क्योंकि भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या का निर्धारण, संबंधित दिनांक अर्थात, शुक्रवार 16 नवंबर, 2018 को निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद ही किया जाएगा। तथापि, भारत सरकार को आबंटित ईक्विटी शेयरों की सूचना अनुमत प्रणाली के अनुसार परिणामों की घोषणा के बाद बैंक के शेयरधारकों को दी जाएगी।

5. अधिमानी शेयर निर्गम को पूरा करने की समय–सीमा:

विशेष संकल्प के अनुसार आबंटन को ऐसे संकल्प को पारित करने के दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति विचाराधीन है तो, 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि को, उसके अनुसार ऐसे आवेदन पर आदेश के दिनांक से या अनुमोदन या अनुमति के दिनांक से, जो भी स्थिति हो, गिना जाए।

6. अधिमानी निर्गम के फलस्वरूप वास्तविक व्यक्ति, जो आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों का अंतिम हिताधिकारी स्वामी बनते हैं और/या जो प्रस्तावित आबंटितियों, उनके द्वारा धारित अधिमानी निर्गमोत्तर पूंजी की प्रतिशतता और निर्गमकर्ता के नियंत्रण में, यदि कोई परिवर्तन है, तो उनका नियंत्रण अंतिम रूप से करते हैं, उनकी पहचान:

चूंकि समग्र निर्गम बैंक के प्रधान शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार (''जीओआई'') से किया जा रहा है, अतः निर्गम के फलस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7. जहाँ भी करना आवश्यक हो वहाँ निर्गमकर्ता वचन देगा कि वह उससे इन विनियमनों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य का पुनःपरिकलन करेगा:

2. Maximum number of specified securities to be issued:

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., Tuesday, December 18, 2018. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is Friday, November 16, 2018 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

3. Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:

Since, the Government of India ("GOI") shareholding in the Bank is 73.07% and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except GOI.

4. Shareholding Pattern of the issuer before and after the preferential issue:

Before Issue:

Sl. No.	Category	No. of Shares	In percentage
1.	Promoter (Government of India)	103,55,39,388	73.07%
2.	Other than Promoter	38,17,32,665	26.93%
Total		**141,72,72,053**	**100.00%**

After Issue:

The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India ("GOI") as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. Friday, November 16, 2018. However, the allotment of Equity Shares to GOI shall be notified to the Shareholders of the Bank after the announcement of results of Postal Ballot as per the permitted mode.

5. Time frame within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

6. Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

7. Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनाए 2018 के अनुसार ईक्विटी शेयरों के मूल्य का पुनःपरिकलन करने का वचन देता है जहाँ कहीं ऐसा करना आवश्यक है।

8. इस प्रकार वचन दिया जाता है कि यदि इन विनियमों में अनुबद्ध समय के भीतर मूल्य के पुनःपरिकलन के कारण प्रदेय राशि अदा नहीं की जाती है तो आबंटितियों से ऐसी राशि अदा किए जाने तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ लॉक-इन रहेंगी:

बैंक की यह जिम्मेदारी है कि यदि मूल्य के पुनःपरिकलन के कारण देय होनेवाली राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित तिथि के अंदर नहीं किया जाता है, तो आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान होने तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन रखा जाएगा।

9. चूँकि सभी शेयर भारत सरकार (''जीओआई'') को जारी किए गए हैं, सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 की अनुसूची VI में निर्धारित किए गए प्रकटीकरण लागू नहीं है।

10. लॉक-इन और अंतरणीयता पर प्रतिबंध:

1. भारत सरकार को आबंटित ईक्विटी शेयरों को, ईक्विटी शेयरों के लिए प्रदान किए गए ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन किया जाएगा।

   बशर्ते, जारीकर्ता की कुल पूंजी के बीस प्रतिशत से कम पूंजी ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से तीन वर्षों तक लॉक-इन की जाएगा।

   बशर्ते, विकल्प का प्रयोग किए जाने या अन्यथा के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बीस प्रतिशत से अधिक आबंटित ईक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए लॉक-इन किया जाएगा।

2. आबंटिती का संपूर्ण पूर्वाधिमानी आबंटन शेयरधारण, यदि कोई हो, तो उसे संबंधित दिनांक से ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से छह महीने की अवधि तक लॉक-इन किया जाएगा।

लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र :

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट के परिणाम की घोषणा की तारीख तक बैंक के पंजीकृत कार्यालय मणिपाल और कॉरपोरेट कार्यालय बेंगलूरु में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। इसमें यह प्रमाणित किया होगा कि सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 की अपेक्षाओं के अनुसार निर्गम किया गया है।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक (बेकागजीकृत) रूप में हैं और शेयर बाजार, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में यथा नियत इक्विटी शेयर के सतत् सूचीयन की शर्तों का बैंक अनुपालन कर रहा है।

भारत सरकार ने संबंधित दिनांक के पहले छह महिने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है।

विनियम और सेबी [(सूचीयन प्रतिबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (एलओडीआर)] विनियमावली, 2015 के अनुसार उपर्युक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

आपके निदेशक ने पोस्टल बैलेट सूचना की मद संख्या 1 के अनुसार विशेष संकल्प की अनुशंसा की है।

उस विशेष संकल्प से किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधक वर्ग या उनके संबंधिकों को कोई संबंध या हित नहीं है।

The Bank undertakes to re-compute the price of the Equity Shares pursuant to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 where it is required to do so.

8. **Undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottees:**

   The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

9. **As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.**

10. **Lock-in and Restrictions on Transferability:**

    1. The Equity Shares allotted to the Government of India ("GOI") shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

       Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

       Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

    2. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the relevant date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

Auditor's Certificate:

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the Registered Office, Manipal and Corporate Office, 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru of the Bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

All the Shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

The Government of India ("GOI") has not sold any Equity Shares of the Bank during the 6 (six) months preceding the Relevant Date.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors, Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution.

मद संख्या – 2

दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 (सोमवार) को संपन्न असाधारण आम बैठक (''ईजीएम'') में बैंक के शेयरधारकों ने ₹90 करोड़ (रुपये नब्बे करोड़) के प्रत्येक ₹10/– (रुपये दस मात्र) वाले 9,00,00,000 (नौ करोड़) इक्विटी शेयरों, बैंक की प्रस्तावित कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के तहत बैंक के स्थाई कर्मचारियों को ''बोर्ड की क्षतिपूर्ति समिति'' द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य पर जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया हैं।

निदेशक मंडल ने दिनांक 31.10.2018 को संपन्न अपनी बैठक में यह अनुशंसा की है कि उपर्युक्त योजना के तहत प्रत्येक रू10/– के शेयर का ''बोर्ड की क्षतिपूर्ति समिति'' द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य पर निर्गत की जानेवाले शेयरों की संख्या 9,00,00,000 (नौ करोड़) से बढ़ाकर 30,00,00,000 (तीस करोड़) कर दी जाए।

जारी की जानेवाली शेयरों की संख्या, जुटाई जानेवाली रकम की प्रमात्रा एवं योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रस्तावित शेयरों की अधिकतम संख्या को छोड़कर असाधारण आम बैठक का दिनांक 01.10.2018 की सूचना के व्याख्यात्मक कथन में किए गए प्रकटीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

तथापि, शेयरधारकों के लाभ के लिए निम्नवत निर्णय लिए गए :

सेबी [शेयर आधारित कर्मचारी लाभ (''एसबीईबी'')] विनियम, 2014 (विनियमन) के अनुसरण में कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (''ईएसपीएस'') के तहत पात्र कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयरों का निर्गमन एवं आबंटन:

बैंक के कर्मचारियों में अपनत्व की भावना जागृत करने एवं उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) एवं बैंक के कार्यपालक निदेशकों (पात्र कर्मचारियों) सहित बैंक के स्थाई कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव बैंक ने रखा है। यह प्रस्तावित निर्गम दीर्घावधि संसाधनों की बढ़ती मांगों एवं बासल III की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक की पूंजी पर्याप्तता को भी पूरा करेगा।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 [सेबी (एसबीईबी)] के अनुपालन में बैंक, सिंडिकेट बैंक – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (''सिंडिबैंक–ईएसपीएस'') तैयार कर रहा है। यह योजना 'बोर्ड की क्षतिपूर्ति समिति' द्वारा प्रशासित होगा तथा लागू नियमों के अनुपालन की शर्तों के अनुरूप होगा।

वर्ष 2018–19 में कुल ₹5000 करोड़ की पूंजी जुटाने की योजना में से बैंक के बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ₹500/– करोड़ (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने हेतु, 30,00,00,000 (तीस करोड़) तक की ₹10/– (रुपये दस मात्र) प्रत्येक की अंकित मूल्यवाले नए शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम एवं आबंटन हेतु कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (जिसे इसमें, इसके पश्चात ईएसपीएस कहा गया है) के तहत पात्र कर्मचारियों को एक या अधिक बार में बोर्ड/समिति की पूर्ण विवेकाधिकार से निर्धारित मूल्य या मूल्यों पर एवं नियमों एवं शर्तों के अधीन इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई जाएगी। इसमें ईएसपीएस के तहत कुल ₹250 करोड़ की पूंजी हेतु 9,00,00,000 (नौ करोड़) इक्विटी शेयरों के निर्गत एवं आबंटन हेतु दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 (सोमवार) को मणिपाल में संपन्न असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में शेयरधारकों से लिया गया पूर्वानुमोदन भी शामिल है।

दीर्घावधि संसाधनों को जुटाने के अतिरिक्त इस निर्गम का उद्देश्य :

- बैंक के कर्मचारियों के योगदान को चिह्नित एवं पुरस्कृत करने तथा बैंक के दीर्घावधि हितों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के हित को संरेखित करना, तथा
- कर्मचारियों के बीच अपनत्व एवं मालिकाना भाव को उजागर करना है।

Agenda Item No. 2

The Shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting ("EGM") held on Monday, 29th October, 2018 at Manipal had approved the issuance and allotment of up to 9,00,00,000 (Nine Crore) Equity Shares of ₹10/- (Rupees Ten only) each aggregating ₹90 Crore (Rupees Ninety Crore only) at such issue price as may be decided by the "Compensation Committee of the Board" to eligible employees of the Bank under the proposed Employee Share Purchase Scheme ("ESPS") of the Bank.

The Board of Directors in its meeting held on 31.10.2018 has recommended increasing the number of Shares to be issued under the said Scheme from 9,00,00,000 (Nine Crore) to up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) of ₹10/- (Rupees Ten only) each at such Issue Price as may decided by the "Compensation Committee of the Board".

The Disclosures as indicated in Explanatory Statement to the Notice of EGM dated 01.10.2018 remain unaltered excepting reference to the number of Shares to be issued, quantum of amount to be raised and maximum number of Shares per employee proposed to be issued under the Scheme.

However, for the benefit of the Shareholders it is reproduced hereunder.

Pursuant to SEBI [Share Based Employee Benefits ("SBEB")] Regulations, 2014 (Regulations), issuance and allotment of new Equity Shares to eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme ("ESPS"):

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes to issue new Equity Shares to its eligible employees including the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (SBEB) Regulations, 2014, the Bank is formulating a Scheme named SyndicateBank - Employee Stock Purchase Scheme ("SYNDIBANK-ESPS"). The Scheme will be administered by the "Compensation Committee of the Board" and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan of ₹5,000 Crores for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital up to ₹500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only) by creating, granting offer, issuing and allotting up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme ("ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion. This includes the earlier approval of the Shareholders in the Extraordinary General Meeting ("EGM") on Monday, 29th October, 2018 at Manipal to raise capital aggregating to ₹250 Crore (Rupees Two Hundred Fifty Crore only) by issuance and allotment of up to 9,00,00,000 (Nine Crore) Equity Shares under ESPS.

The object of the issue, apart from raising of long-term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

इस योजना के तहत जारी करने हेतु प्रस्तावित नए ईक्विटी शेयर, बैंक द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, सहित बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर से समस्त दृष्टिकोणों में समान श्रेणी के होंगे।

सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)] एवं सेबी विनियम 6 (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन में पात्र कर्मचारियों को नए शेयर निर्गत एवं आबंटित करने के लिए बैंक द्वारा विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी सेल/2015 दिनांक 16.06.2015 के अनुसरण में उसमें वर्णित अतिरिक्त प्रकटीकरण निम्नवत हैं:

ए) योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक, ₹10/- (रुपये दस मात्र) के प्रत्येक के अंकित मूल्य का 30,00,00,000 (तीस करोड़) नए इक्विटी शेयर, सिंडबैंक-ईएसपीएस के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं ऑफर के समय इस प्रकार से निर्धारित दिशानिर्देशों जिससे भारत सरकार की धारिता 51 प्रतिशत से कम न हो, की शर्तों पर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

बी) प्रदान किए जानेवाले कुल शेयरों की संख्या:

सिंड, बैंक - ईएसपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों को कुल 30,00,00,000 (तीस करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

सी) सिंडिबैंक-ईएसपीएस में भाग लेने हेतु तथा लाभार्थी बनने हेतु पात्र कर्मचारियों की श्रेणी की पहचान:

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) तथा कार्यपालक निदेशकों सहित बैंक के समस्त स्थाई कर्मचारी।

डी) निर्निहितीकरण अपेक्षाएँ एवं निर्निहितीकरण की अवधि:

ईक्विटी शेयरों को सीधे तौर पर ऑफर एवं आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है, अतः इसके निर्निहितीकरण की कोई अवधि नहीं है।

ई) अधिकतम अवधि {(सेबी (एसबीईबी) विनियम के विनियम 18(1) और 24(1) के अधीन, जैसा भी मामला हो} जिसमें विकल्प/एसएआर/लाभ निहित किया जाना है।

लागू नहीं

एफ) कार्यान्वयन मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण की विधि:

निदेशकों की समिति/बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के समय प्रस्तावित मूल्य/क्रय मूल्य निर्धारित की जाएगी। योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जानेवाले शेयरों का मूल्य दो सप्ताह पूर्व एनएसई द्वारा निर्धारित ईक्विटी शेयरों के औसत मूल्य की मात्रा के साप्ताहिक उच्च और निम्न के औसत पर 25% तक के बट्टे पर होगा। (समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी), जिस पर बोर्ड/समिति प्रस्तावित/क्रय मूल्य तय करेगी।

जी) कार्यान्वयन की प्रक्रिया और अवधि:

समिति/बोर्ड के निर्णय के अनुसार निर्गमन खुलने की अवधि कार्यान्वयन अवधि मानी जाएगी। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में पात्र कर्मचारियों को प्रस्ताव, आवेदनों की प्राप्ति और योजना के अंतर्गत शेयरों का आबंटन तथा अंशदान की राशि शामिल होगी।

The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Regulation 6 of SEBI (SBEB) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new Equity Shares to eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/2015 dated 16.06.2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A) BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each of the Bank to all the eligible Employees under "SYNDIBANK-ESPS" subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India ("GOI") holding does not reduce below 51.00%.

B) TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible Employees under the "SYNDIBANK-ESPS".

C) IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SYNDIBANK-ESPS:

All permanent Employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO") and Executive Directors of the Bank.

D) REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E) MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBEB) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

F) EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price/Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the eligible employees of the Bank shall be at a discount up to 25% on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the equity shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/Committee fixes Offer/Purchase Price.

G) EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

एच) प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों के पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

प्रस्ताव की तिथि की स्थिति में पात्र कर्मचारी, लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने हेतु हकदार होंगे।

आई) प्रति कर्मचारी को निर्गमन किया जाने वाला विकल्प, स्टॉक मूल्य वृद्धि अधिकार (एसएआर), शेयरों की अधिकतम संख्या, जैसा भी मामला हो, एवं कुल निर्गमन:

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी निर्गमित किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयरों की अधिकतम संख्या 25,000 (पच्चीस हजार) ईक्विटी शेयर या इस उद्देश्य के लिए गठित की गई निवेशकों की समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। बैंक द्वारा अधिकतम 30,00,00,000 (तीस करोड़) नए ईक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव है, जो प्रति कर्मचारी बैंक की 1% की निर्गमित चुकता पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जे) योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को प्रदान किए जानेवाले लाभ की अधिकतम अवधि:

उपरोक्त पैरा (I) में उल्लिखित योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को निर्गमित किए गए ईक्विटी शेयर के अलावा, कर्मचारी को अन्य कोई लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

के) क्या योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वयित और प्रशासित की जाएगी या ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वयित और प्रशासित की जाएगी।

एल) क्या योजना में कंपनी या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों के द्वारा निर्गमित नए शेयर शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक सीधे तौर पर पात्र कर्मचारियों को नए ईक्विटी शेयर निर्गमित करेगा।

एम) बैंक द्वारा ट्रस्ट को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जानेवाली ऋण राशि, इसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती शर्तें आदि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक के नए ईक्विटी शेयरों को सीधे तौर पर पात्र कर्मचारियों को निर्गमित किया जाना प्रस्तावित है और इस प्रकार ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान किया जाना लागू नहीं है।

एन) द्वितीयक अधिग्रहण की अधिकतम प्रतिशतता (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जो, योजना के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है:

लागू नहीं।

ओ) सेबी (एसबीईबी) विनियमन की 15 विनियम में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुकूल कंपनी के प्रभाव संबंधी विवरण:

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियाँ जो समय-समय पर लागू होती हैं, का अनुपालन करेंगी।

H) THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

I) MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, STOCK APPRECIATION RIGHTS (SARs), SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 25,000 (Twenty Five Thousand) Equity Shares or such lower number as decided by the Committee of the Board constituted for the purpose. The Bank proposes to issue maximum of 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares in aggregate and Equity Shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue Paid-up Capital of the Bank.

J) MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:

Other than Equity Shares issued to the eligible employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

K) WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L) WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE BANK OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new Equity Shares directly to the eligible employees.

M) THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE BANK TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC.:

Under the proposed Scheme, the new Equity Shares of the Bank are proposed to be issued directly to the eligible employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N) MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S):

Not Applicable.

O) A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE BANK SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (SBEB) Regulations, 2014, if applicable from time to time.

पी) कंपनी द्वारा अपने विकल्प या एसएआर का मूल्य के उपयोग संबंधी विधि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक ने नए ईक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रकार विकल्प और एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

क्यू) अनुवर्ती विवरण, यदि लागू हो:

यदि बैंक वास्तविक मूल्य का उपयोग कर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विस्तार का चयन करती है, तो गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और पहचान की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत, यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया है, के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए और लाभ एवं बैंक की प्रति शेयर आय (''ईपीएस'') के अंतर के प्रभाव को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए। यदि लागू हो, तो बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

आर) अवरुद्धता अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत निर्गमित किए जाने वाले प्रस्तावित नई ईक्विटी शेयर के लिए अवरुद्धता अवधि न्यूनतम 1 वर्ष की होगी, जो सेबी (एसबीईबी) विनियमन 2014 के अनुसार आबंटन की तिथि से प्रभावी होगी।

निदेशक मण्डल ने प्रस्तावित विशेष संकल्प को स्वीकृत करने का अनुमोदन किया है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (''एमडी & सीईओ''), कार्यपालक निदेशक और अन्य मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (केएमपी) उपरोक्त उल्लेखित संकल्प के संबन्धित या पक्ष में है क्योंकि इसका उद्देश्य उनका लाभ है। अन्य निदेशक संकल्प से संबन्धित या पक्ष में नहीं है।

निदेशक मण्डल के द्वारा
कृते सिंडिकेटबैंक

सुशांत जैन
(कंपनी सचिव)
(M. No. 51783)

दिनांक : 07.11.2018
स्थान : बेंगलूरु

P) THE METHOD WHICH THE BANK SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q) THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of Share Based Employee Benefits using the Intrinsic Value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on Earnings Per Share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R) LOCK-IN PERIOD:

The new Equity Shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of 1 (one) year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 2 of the Notice of Postal Ballot.

The Managing Director & Chief Executive Officer ("MD&CEO"), the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned and interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By the Board of Directors
For SyndicateBank

Sushant Jain
(Company Secretary)
(M. No. 51783)

Date : 07.11.2018
Place : Bengaluru